

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी - श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं० 513 / प्रार्थना-पत्र / 2019

(मि० नं० 845 / दावा / 2019)

दायर 27 / 07 / 2019

उनवान

रमेश पुत्र आँकारलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
- वादी / अप्रार्थी

बनाम्

1. कालूलाल पुत्र देवलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
2. आँका पुत्र विरजीवाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
3. प्रेमचंद पुत्र विरजीवाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
4. सत्यनारायण पुत्र विरजीवाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
5. विष्णु पुत्र विरजीवाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
6. भगवन्तीवाई पुत्री विरजीवाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
7. ममतावाई पुत्री विरजीवाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
8. कस्तूरीवाई पुत्री नंदलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
9. कालूलाल पुत्र नारायणीवाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
10. दुलीचंद पुत्र नारायणीवाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
11. हीरालाल पुत्र बापूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
12. घांसीलाल पुत्र बापूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
13. गजेंद्र पुत्र बापूलाल लाऔलाद जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
14. रमेशचंद पुत्र बापूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
15. राधेश्याम पुत्र बापूलाल फौत कायम मुकामान
- 15/1 सोनू पुत्र राधेश्याम जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
- 15/2 गायत्रीवाई पत्नि राधेश्याम जाति भील नि० महुआखेड़ा तह० खानपुर
16. कालीवाई पुत्री बापूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
17. प्रभूलाल पुत्र बापूलाल फौत कायम मुकामान
- 17/1 रामनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
- 17/2 जमकुवाई पुत्री प्रभूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
- 17/3 भूलीवाई पुत्री प्रभूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
- 17/4 वरधीवाई पुत्री प्रभूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
18. रूपचंद पुत्र रामरतन जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
19. रामलाल पुत्र रामरतन जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
20. संतोषवाई पुत्री रामरतन जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर
21. पुष्पावाई पुत्री रामरतन जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह० खानपुर

[1]

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

22. सीताराम पुत्र रामचंद्र जाति भील निवासी महुआखेडा तह0 खानपुर
23. पप्पू पुत्री रामचंद्र जाति भील निवासी महुआखेडा तह0 खानपुर
24. प्रेमबाई पुत्री रामचंद्र जाति भील निवासी महुआखेडा तह0 खानपुर
25. लेखराज पुत्र आँकार जाति भील निवासी महुआखेडा तह0 खानपुर
26. मुकुटविहारी पुत्र आँकार जाति भील निवासी महुआखेडा तह0 खानपुर
27. भू अवाप्ति अधिकारी खण्डिया कोलोनी झालावाड
28. ए यू फाईनेंस कम्पनी शाखा निर्भय सिंह सर्किल झालावाड
29. राजस्थान राज्य जर्ज्य तहसीलदार खानपुर

- प्रार्थी / प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

उपस्थित:- श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट - प्रार्थी / प्रति0नं0 1
श्री संजय गौतम एडवोकेट - अप्रार्थी / वादी


निर्णय

दिनांक 30/10/2019

प्रार्थना-पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी / प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 24.07.2019 को जर्ज्य अधिवक्ता एक प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर वाद पेश कर माननीय न्यायालय से वादी के पक्ष में डिक्री चाही है। धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत केवल और केवल खातेदार ही वाद पेश कर सकते हैं, वादीगण खातेदार नहीं होने से वाद विधि विरुद्ध है। अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रचलित राजस्व विधि में वाद पेश किये जाने से वर्जना है तथा जन रजिस्टर्ड दस्तावेज से वादीगण को किसी भी प्रकार की सहायता माननीय न्यायालय प्रदान नहीं कर सकते। इस प्रकार वादी का वाद विधि विरुद्ध होने के कारण स्वतः ही खारिज होने योग्य होने से खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया है कि वादी का वाद धारा 188 के अलावा धारा 88, 89, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत भी है, जिनमें वादी को वाद पेश करने का हक एवं अधिकार है। वादी ने दिनांक 30.04.2007 को प्रतिवादी कालूलाल से जर्ज्य इकरारनामा 22000/-रु0 में 1.00 बीघा आराजी का इकरार कर राशि अदा की थी। दिनांक 07.12.2016 को प्रतिवादी कालूलाल द्वारा एक इकरारनामा पुनः लेखबद्ध किया और कहा कि ग्राम महुआखेडा की खाता सं0 41 के ख0नं0 198 की 9.18 बीघा आराजी में मेरा हिस्सा 1.00 बीघा बनता है। चूंकि उक्त आराजी शामिल होने के कारण मैं वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करा पाया हूँ। अब आराजी डूब में आ जाने से वर्तमान में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में मुआवजा की राशि जो भी आयेगी वह सम्पूर्ण राशि में रमेशचंद्र वादी को अदा कर दूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी तीन जजों की बेंच ने

[2]


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड
(राजस्थान)

यह निर्णय किया गया है कि यदि 12 वर्ष से अधिक का सम्पत्ति पर कब्जा है तो वास्तविक मालिक है। ऐसी स्थिति में इस स्टेज पर वादी का वाद खारिज किया जाना उचित नहीं है। वाद में साक्ष्य रेकार्ड पर लिये जाने के बाद तनकीयात के विवेचन के बाद वाद को निर्णित किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 1 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादी खातेदार नहीं है। ऐसे में यह धारा 188 आर०टी०एक्ट के अन्तर्गत वाद नहीं ला सकते। वहीं वादी के वाद का मुख्य आधार इकरारनामा है जो पंजीकृत नहीं है और अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रचलित राजस्व विधि में वाद पेश किये जाने से वर्जना है। अतः हमारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का विधि विरुद्ध वाद खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि हमारा वाद धारा 188 के अलावा धारा 88, 89, 92ए, 209 के अन्तर्गत भी है, जिनमें हमे वाद पेश करने का अधिकार है। प्रार्थी/प्रति०नं० 1 ने जर्ने इकरारनामा राशि प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी 1.00 बीघा हमें विक्रय की है, जिसे प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 1 ने अपने इकरारनामा दि० 7.12.16 में भी स्वीकार किया है। चूंकि आराजी डूब क्षेत्र में आने से वर्तमान में इसका विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हो सकता है। हमारा वादग्रस्त आराजी पर 12 वर्ष से भी अधिक समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है। हम अपने वाद को साक्ष्य पेश कर साबित करेंगे। इस स्टेज पर वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी/प्रति०नं० 1 का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादी के वाद का मुख्य आधार इकरारनामा दिनांक 30.04.2007 व 07.12.2016 है तथा इन दोनों इकरारनामों के आधार पर वादी ने ग्राम महुआखेड़ा की खतोनी सं० 41 की 9 कित्ता की 49.19 बीघा आराजी में से प्रति०नं० 1 कालूलाल के हिस्से पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का यह वाद पेश किया है। हमने दोनों दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी ने इन दोनों इकरारनामों की फोटो प्रति वाद-पत्र के साथ पेश की है। इकरारनामा दिनांक 30.04.2007 100/-रु० के स्टॉम्प पर आलेखित है, यह पंजीकृत नहीं है। इस इकरारनामों में ग्राम महुआखेड़ा की ख०नं० 198 की 9.18 बीघा आराजी में से प्रति०नं० 1 कालूलाल के हिस्से की 1.00 बीघा आराजी का बैचान 22000/- में वादी रमेशचंद्र को किये जाने का उल्लेख है। वहीं इकरारनामा दिनांक 07.12.2016 भी अपंजीकृत है तथा दिनांक 30.04.2007 को वादग्रस्त आराजी का विक्रय किये जाने का उल्लेख है। दस्तावेज दिनांक 07.12.2016 अधिकार पत्र की फोटो प्रति है, जिसमें ख०नं० 198 की 9.18 बीघा में से 1.00 बीघा का मुआवजे का चैक रमेशचंद्र को दिये जाने के अधिकार का उल्लेख है। स्पष्टतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में इकरारनामों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वादी ने अपना वाद धारा 188 के तहत भी प्रस्तुत किया है।


जबकि इस धारा में केवल खातेदार ही वाद ला सकता है, यहां वादी आराजी का खातेदार नहीं है। ऐसे में यह इस धारा में वाद नहीं ला सकता।

हमने वाद-पत्र का अवलोकन किया, वादी ने अपने वाद पत्र की मद नं० 4 में यह आलेखित किया है कि " यह कि प्रति०नं० 1 के मन में बदनियती आ गई और दिनांक 07.12.16 को दिये गये अधिकार पत्र व इकरारनामा की पालना नहीं कर उक्त डूब क्षेत्र का मुआवजा, प्रति०नं० 1 लेने पर आमादा है। इसलिये प्रति०नं० 1 को जर्ज स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। " वादी इस वाद के माध्यम से दिनांक 30.04.2007 व 07.12.2016 की संविदा की पालना कराना चाहता है, जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है। राजस्व न्यायालय को ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये वादी का वाद विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है।

वादी ने अपने वाद की मद नं० 5 में आलेखित किया है कि " यह कि वादी ने प्रति०नं० 1 से कहा कि चलकर मेरे हिस्से में खरीद शुद्धा भूमि का चैक जर्ज पावर अटोनी के माध्यम से जारी करवाकर मुझे दिला दे। इस पर प्रतिवादी नं० 1 के मन में बदयान्ति आ जाने से चैक वादी के नाम बनाने से दिनांक 14.05.2019 को मना कर दिया और यही वाद कारण है। " यहां वादी का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है तथा वर्णित वाद कारण मुआवजे का चैक जारी कराने को लेकर है। इस प्रकार वादी द्वारा वर्णित वाद कारण उदघोषणा का वाद लाने का आधार कतई नहीं है। यहां जब वादी को कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है तो विधिक रूप से इस वाद को आगे चलाये रखना उचित नहीं है।


उपरोक्त विवेचन के अनुसार यहां हम प्रार्थी/प्रति०नं० 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र से पूर्ण रूप से सहमत हैं और स्पष्टतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद-पत्र संख्या 845/2019 रमेश बनाम कालूलाल वगैरह खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।


उपस्यण्ड अधिकारी
खानपुर जिल्हा इनामवाड
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 30/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[4]


उपस्यण्ड अधिकारी
खानपुर जिल्हा इनामवाड
(राजस्थान)

